

प्रेषक,

एच०वी० सिंह

विशेष सचिव

उम्मीद शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभियान,

30प्र०, लखनऊ।

उम्मीद रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ : दिनांक : 31 जुलाई, 2015

उम्मीद विभाग।

विषय:-शहरी गरीबों के लिये अल्पसंछयक बाहुल्य वस्तियों तथा नगरीय गतिविधि वस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से वित्तीय स्थीरता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-970/175/10/छ./विविध/आसरा/तकनीकी (रामपुर-रामपुर-192) दिनांक 10 जून, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का लिंग तुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंछयक बाहुल्य वस्तियों तथा नगरीय गतिविधि वस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित जनपद-रामपुर की निकाय-रामपुर (घेतों वाली महिनाद नालापार के निकट) की 192 आवासों की 01 परियोजना हेतु ₹ 972.36 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्थीरता सहित, तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित प्रथम किशन के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल घनराशि ₹ 486.18 लाख (रुपये चार करोड़ छियासी लाख अद्धारह हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिवर्णों के अंतर्गत सहीर स्थीरता प्रदान करते हैं:-

(घनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद/ निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या।	अवस्थापना सुविधाओं का कुल आवासीय लागत।	राज्याल्य वर्ज के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	सामान्य वर्ज के लाभार्थियों में सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत।	प्रथम किशन (50 प्रतिशत) के रूप में स्थीरता की जाने वाली घनराशि (सेन्टेज वार्जन एवं लेवर से स सहित)।
1	2	3	4	5	6	7
1	रामपुर/ रामपुर (घेतों वाली महिनाद नालापार के निकट)	192	972.36	192	972.36	486.18
	गोण			192	972.36	486.18

1. उक्त घनराशि का द्वय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या-18/13/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश द्वयस्था का पूरीरूपीण अनुमालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रत्यागत कार्य पारगत करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के 34व्याय-12 के प्रत्यर 318 में योगीता वालाया के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम रत्तर से तकनीकी स्थीरता अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा उपर्युक्त रत्तर से तकनीकी स्थीरता प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों के आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्रणिकरण/सक्षम लोकल अगारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा। साथ ही नियमानुसार समस्त आवश्यक दैधनिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय विलबरेन्स प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिवर्णीयों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत परियोजना में मानवीकृत क्षेत्रफल, मानचित्र एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामयी/उपकरणों का व्यय पित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एकलेशन अनुमत्य नहीं होगा।
6. सूड़ा/झूड़ा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्तर से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में समिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की द्विराखि/पुनरावृत्ति न हो इसे सूड़ा/झूड़ा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत कोई उत्तरेखनीय परियोजना जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विशेषितों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुगोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्णीत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/डाइग्राम बनाते समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस रियति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुगोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन स्तरों आयासों के भू-स्थानियों के भू-स्थानित्व का सन्त्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
9. सूड़ा/झूड़ा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुगोदित आसरा योजनान्तर्गत आयासों के निर्माण से सम्बन्धित मानवीकरण के अनुसार ही आयास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभियान य सम्बन्धित झूड़ा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्षम स्तरीय निराकरण योजनारूप गुणवत्ता आदि विन्दुओं सहित यथार्थीकृत योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्यस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित झूड़ा/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार राजी पहलुओं पर आश्यस्त हो जाएगी।
11. उक्त धनराशि नए आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०५०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरेपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना मध्यस्तेखाकार (राजकोष), महात्मेखाकार (लेखा), ३०५०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ योगानार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. स्वीकृत धनराशि कोषानार से आहरित कर देंक/आकपर/डिपाजिट खाते य पी०एल००० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषानार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नान्तर आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र य राज्य के कर्तों की स्वीकृती की कठौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्णीयों के अनुपालन जब ९०० रुपया जायेगा।

14. इस धनराशि का उपयोग बाबू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा क्लेन्डर अवश्य करा दिया जाय। योजनावार्ता प्रथम किश्त के रूप में स्थीरता उपरा धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि द्वारा दो जाने के पश्चात् तथा उसके रापोद्धा गोप्तिक प्रगति/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से अपलब्ध कराया जायेगा। तदीपराम्भ योजना की अवशेष/द्वितीय किश्त की धनराशि अवगुक्त रही जायेगी। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकगुक्त शासन को वापस करनी होगी।
15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30पा.0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का जिलाल महालेखाकार के कार्यालय के नेत्रे से अवश्य करायेंगे।
16. पारियोजना से सम्बद्धित विर्गीण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्ण अनुबन्ध (एमओओय०) विष्पादित किये जाने हेतु सूडा दास सम्बन्धित दृढ़ा को निर्दीशित किया जायेगा।
2. अपरोक्त धनराशि का राय यात्रा वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-रायक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक “4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-शहरी आवास-800-अन्य व्यय-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24 घृहद विर्गीण कार्य” के लाभे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा० संख्या-४-२०४८/दरा-२०१५ दिनांक २२ जुलाई, २०१५ रे पास फार्मला अवधि से नारी किये जा रहे हैं।

विवरण,
[]
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-७/४/२०१५/१४९१(1)/६९-१-१५, तारिखाकृ।

परिविधि नियन्त्रित का पुनरार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रोसेत

1. गहालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उत्तर प्रदेश, २० सारोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय विर्गीण लेखा परीक्षा विभाग, ३०पा.०, उठां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, लगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्नालव कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. जिलाधिकारी/उपराज्यकारी, जिला नगरीय विकास अभियान, रामपुर।
5. वित्त (राय-नियन्त्रण) अवधारण-४, उत्तर प्रदेश शासन।
6. विधोजन अनुभाग-४, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जगहर अवन, लखनऊ।
8. वित्त विभाग, राज्य नगरीय विकास अभियान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सहव्यक्त वेत्र भास्तर, सूडा को विभागीय वेत्र राइड पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड काइल/कम्प्युटर सहायक/वर्क सम्बन्धक।

आज्ञा से,

(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।